

बनी के जमाव वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में प्रतिवेदन का पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Import of Trawlers

7911. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have decided to import trawlers despite the urgency of the Defence Public Sector shipyard to manufacture it locally; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b). In view of the urgency to exploit fishery resources in the exclusive Economic Zone of 200 miles and to prevent other countries from exploiting our resources, the Government had decided in January, 1977, to introduce 140 additional fishing vessels by import, charter, joint venture and indigenous construction. In an inter-Ministerial meeting having representatives of Departments of Defence Production, Economic Affairs, Heavy Industry and Ministry of Shipping & Transport, 40 vessels were considered for indigenous construction out of which 30 were to be ordered by the parties who were allowed to import Mexican trawlers in fulfilment of their commitment under the scheme. The decision to import fishing vessels has been taken in consultation with concerned departments keeping in view the urgency of the situation, immediate

possibilities of indigenous construction and other connected matters.

भूमि का कटाव

7912. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों (एक्स-टेशन) में तेजी से हो रहे भूमि के कटाव से उपजाऊ भूमि बेकार होती जा रही है और क्या इस कटाव को रोकने को प्राथमिकता देने की कोई योजना है और इस कार्य पर कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों या कम उपज देने वाले क्षेत्रों में भूमि के कटाव को रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां । राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में भूमि विकास तथा मृदा संरक्षण को प्राथमिकता दी जाता है । आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदिवासी उप-योजना तथा नदी घाटी परियोजनाओं के सर्वांगीण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत भूमि विकास तथा मृदा संरक्षण कार्यक्रमों पर 1978-79 के लिए 11.26 करोड़ रु० के अंतिम परिव्यय की आवश्यकता है । इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड तथा उड़ीसा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में अगस्त, 1977 से 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से झूम खेती के नियंत्रण के लिए अर्द्धश्री परियोजनाओं की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है । यह योजना आदिवासी जनता द्वारा झूम खेती करने की प्रथा को त्याग करके भूमि संरक्षण का नियंत्रण करने की दृष्टि से शुरू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 के लिए 50 लाख रु० के अंतिम नियतन का प्रस्ताव है ।